13.35 hrs.

MR. SPEAKER: Matters under rule 377 listed for the day and the Standby List be treated as laid on the Table of the House.

Title: Need to include Rajasthani language in the Eight Schedule of the Constitution of India - Laid.

श्री गिरधारी लाल भार्गव (जयपुर): राजस्थान इस समय क्षेत्रफल की दृटि से सबसे बड़ा प्रदेश है। करोड़ों लोग राजस्थानी भाषा बोलते हैं। राजस्थान विश्वविद्यालय ने इसे ऐच्छिक विषय के रूप में पढ़ाने की अनुमति प्रदान की है। आकाशवाणी जयपुर से भी कई कार्यक्रम राजस्थानी भाषा में प्रसारित हो रहे हैं। 74 प्रतिशत निरक्षर व्यक्तियों को साक्षर बनाने या उनसे सम्पर्क करने के लिए राजस्थानी भाषा के अलावा दूसरी भाषा राजस्थानी हो ही नहीं सकती। राजस्थानी भाषा के विकास एवं मान्यता से हिन्दी के राट्र भाषा बनने में सहायता ही मिलेगी। राजस्थान की प्रगति राजस्थानी भाषा से ही संभव है। राजस्थानी राजस्थान की एवं विश्व में फैले करोड़ों बंधुओं की भाषा है, जिसका अपना अलग अस्तित्व है। यह निर्वाह सत्य की राजस्थानी संस्कृति और उसका वीर रस एवं भक्ति रस से ओत-प्रोत साहित्य तथा इनके लोक गति समूचे विश्व में अपना एक विशिट स्थान रखते हैं।

मेरी केन्द्र सरकार से मांग है कि भारत के संविधान की आठवीं अनुसूची में राजस्थानी भाषा को सम्मिलित किया जाए, जिससे राजस्थान का गौरव बढ़ सके और हिन्दी भाषा के विकास में यह भाषा सहायक हो सके। इस भाषा के चलने में हिन्दी भाषा की कोई हानि नहीं होगी।

*Treated as Laid on the Table.